संख्या–यू०ओ०112/चौवालिस-1/93-108/ब्यूरो/92

प्रेषक,

श्री टी०एस० आर० सुब्रमन्यन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रशासकीय विभाग के
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई, 1993

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के संचालक मण्डलों में शासन द्वारा तथा संचालक मण्डलों द्वारा निदेशकों को नामित किया जाता है। इन निदेशक मण्डलों के स्वरूप का अध्ययन करने से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि कई उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में उपक्रम के क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित एक भी विशेषज्ञ एवं प्रोफेशनल व्यक्ति यथा चार्टेट एकाउन्टेन्ट/कास्ट एकाउन्टेन्ट/कम्पनी सेक्रेटरी सम्मिलित नहीं है। इस स्थिति में शासन द्वारा विचारोपरान्त सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मण्डलों को और प्रभावी बनाने हेतु उनके गठन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) शासन के जिन विभागों द्वारा उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित किये जाते हैं उन निदेशकों की संख्या 3 तक सीमित कर दी जाय जिसमें प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि होंगे। यह निदेशक सम्बन्धित उपक्रम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों (जिस उपक्रम में ऐसे निदेशक नियुक्त हों) के अतिरिक्त होंगे।

(2) उपक्रमों/निगमों के क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ तथा एक प्रोफेशनल व्यक्ति यथा चार्टेट एकाउन्टेन्ट, कास्ट एकाउन्टेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी को निदेशक मण्डल में रखा जाय। यह दोनों निदेशक यथासम्भव शासन के बाहर के व्यक्ति हों।

2. उपरोक्त निर्णय विशिष्ट केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित उपक्रमों, जिनमें कि निदेशकों की नियुक्ति का विशिष्ट प्राविधान रहता है, पर लागू नहीं होंगे।

3. कृपया उपरोक्त निर्णयों के आधार पर अपने प्रशासकीय विभाग के अन्तर्गत स्थापित उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डलों का यथा आवश्यकतानुसार पुनर्गठन करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से सार्वजनिक उद्यम विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(टी०एस० आर० सुब्रमन्यन)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–यू०ओ०–112, चौवालिस–1, 93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(ए०के० जैन)
सचिव।